30.8.22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि. 20.9.22 को पेश हो।

20/9/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. है। उभय पक्षकारान अभिभाषकगण ने फर्द दस्तावेज की सूची के साथ दस्तावेज पेश किये। बहस प्रार्थना प.न. सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने विभिन्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 4/10/22 को पेश हो।

4/10/22 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप. है। बहस प्रार्थना पत्र प.न. में वकील पक्षकारान ने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं प्रत्यार्थी सं. 1 की पुश्तैनी भूमि

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.22 15:16:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	है। जिसके मूल खातेदार गिरधारी आ० भैरू जाति धाकड़ थे जिनके एक पुत्र सोनारायण उत्पन्न हुआ। सोनारायण के पुत्र रामधन व केसरा उत्पन्न हुए। केसरा के एकमात्र वारिसान प्रार्थीगण ही है। रामधन के भी एक मात्र वारिस रामकिशन जीवित है। रामकिशन उर्फ किशन प्रत्यार्थी सं. 1 है। अतः विवादित आराजी में प्रार्थीगण का भी 1/2 हिस्सा है। यह कि प्रत्यार्थी सं. 1 के पिता रामधन ने अवैध व अनाधिकृत रूप से रामधन आ० सोनारायण के बजाय रामधन पुत्र गिरधारी बताकर रामधन वल्द गिरधारी के नाम इन्तकाल खुलवा लिया है जो अवैध व अनाधिकृत होने से निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन किया कि तार्फेसला वाद अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त भूमि पर प्रत्यार्थी सं. 1 के पूर्वज रामधन व उसके पिता ही खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा अप्रार्थीगण ही काबिज काश्त है। प्रार्थीगणों का उक्त विवादित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।
	हमने वकील [illegible] बहस पर मनन किया। [illegible] पत्र रिकार्ड दस्तावेजात [illegible] आदि का ध्यानपूर्वक [illegible] किया। ग्राम समीची की प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.22 16:16:24 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया गिरधारी के वारिसान के सम्बन्ध में मूलवाद में निर्णय किया जाना है। प्रस्तुत जमाबंदी नकलों के आधार पर प्रथम दृष्टया केस व सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। अतः प्रार्थना पत्र में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने पर अनावश्यक वादकरण बढ़ने की सम्भावना है। अतः ग्राम समीधी पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनवां की जमाबंदी संवत् 2072-75 की खाता संख्या 47 नया व 55 पुराना की खसरा संख्या 205/2-04, 208/0-09, 210/0-02, 213/0-14, 215/2-01, 223/0-19, 226/0-04, 227/1-03, 327/20-01, 331/10-08, 358/25-00, 621/1-01 एवं 874/0-02 कुल रकबा 64 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 13 भूमि पर ताफैसला वाद रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे जाने की अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द [illegible] जाता है। निर्णय खुले न्यायालय [illegible] पत्रावली बाद तकमील [illegible] संलग्न रहे। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.22 15:16:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner